<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर</u>

<u>(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)</u>

<u>अपील एल.आर. संख्या 122/2020/(2020/00122) जिला–अजमेर</u>

श्री भैरू सिंह पुत्र रिडमल सिंह जाति राजपूत उम्र 90 वर्ष निवासी अगस्त मुनि की गुफा के पास, ग्राम नाला, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर
2. नगर पालिका पुष्कर जरिये अधिशाषी अधिकारी।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर आदेश क्रमांक
कअ/राजस्व/एफ.12(सी) ()/12/181 दिनांक 12–11–2012

––––

उपस्थित–	1.	श्री मृणाल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
	2.	श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण
	3.	श्री अविनाश माथुर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 22.03.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 12–11–2012 द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 2047, 2049, 2050 व 2050/2617 रकबा क्रमश 10.84 हैक्टर, 1.00 हैक्टर, 11.90 हैक्टर एवं 0.18 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 670, 671, 672 रकबा क्रमशः 19–7–10, 10–01–02, 16–19–00 सहित अन्य आराजियात से संबंधित राजस्व वाद संख्या 95/1996 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती सिविल हेतु उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया था जो वर्तमान में सहायक जिला कलक्टर (मु0) अजमेर के यहां विचाराधीन है। नियमित वाद विचाराधीन रहने के बाद जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश से विवादित आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 2 नगर पालिका पुष्कर के नाम अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एक तरफा हस्तांतरित करने का आदेश पारित कर दिया। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:31 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 12–11–2012 से व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो क्षैत्राधिकार परिवर्तन होने के आधार पर अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई ।

अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अपीलार्थी जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश में पक्षकार नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 12–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में आराजियात खसरा नम्बर 2047, 2049, 2050 व 2050/2617 हस्तांतरित किये जाने बाबत पारित किया है जिसके पुराने खसरा नम्बर 670, 671, 672 गलत रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसके दुरूस्तीकरण हेतु अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नियमित राजस्व वाद संख्या 95/96 सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। उक्त आराजियात पूर्व से अपीलार्थी व उसके पूर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही है पक्षकारान के मध्य विवादित आराजियात के हक अधिकार वाद में ही तय होने है। उक्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आक्षेपित आदेश द्वारा उक्त विवादित आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम हस्तांतरित किये जाने के आदेश पारित कर दिये जो उपरोक्त खसरान की हद तक निरस्त किये जाने का अनुतोष प्राप्ति हेतु अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त कार्यवाही में अपीलार्थी पक्षकार नहीं है चूंकि प्रार्थी आक्षेपित आदेश से व्यथित है इस कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है। विवादित आराजियात बाबत नियमित राजस्व वाद विचाराधीन रहते आक्षेपित आदेश पारित किया जाना विधिविरूद्ध है जिससे अपीलार्थी के हितों पर कुठाराघात हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थी की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के अभिभाषकगण ने तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आरायिाज सिवायचक है। अपीलार्थी द्वारा जिस आक्षेपित आदेश की अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है उस आदेश से अपीलार्थी किसी भी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है, ना ही उक्त आदेश से अपीलार्थी के प्रत्यक्ष रूप से हित प्रभावित होते है। अपीलार्थी द्वारा स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस आधार पर भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:31 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षों की धारा 98 जा0दी0 में सुनी बहस पर मनन एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–96 जा0दी0 का

प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 12–11–2012 की जानकारी मौखिक रूप से मौके पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा 23–6–2016 को दी गई तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड की वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई व अधिवक्ता से सम्पर्क कर सलाह अनुसार आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 15–7–2016 को प्राप्त की गई जिसके अवलोकन से उक्त आदेश की वस्तुस्थिति की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 12–11–2012 से विधिवत रूप से आराजी अप्रार्थी संख्या 2 को हस्तांतरित की है। विवादित आराजी राजकीय भूमि होने से किसी को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है एवं अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया कि जिला कलक्टर, अजमेर के उक्तआदेश की सर्वप्रथम जानकारी कब हुई केवल अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के उद्देश्य से असत्य आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावे। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र में संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है इस कारण बिना सन्तोषप्रद कारण के धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से मय खर्चे खारिज किया जावे। अतः अपीलार्थी का धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र निराधार व बेबुनियाद होने व ठोस संतोषप्रद कारण नहीं देने के कारण खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर व प्रत्यर्थी अधिवक्ता /राजकीय अधिवक्ता की इस पर जवाबी बहस पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त व अनुरूप प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मंशा होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:30:31 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 12–11–2012 इस विधिक आधार पर निरस्त योग्य है कि विवादित आराजियात बाबत पक्षकारान के मध्य एक नियमित राजस्व वाद संख्या 95/96 उनवान भैरू सिंह बनाम राजस्थान सरकार सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के समक्ष विचाराधीन होने के बावजूद विवादित आराजियात खसरा नम्बर 2047, 2049, 2050 व 2050/2617 रकबा क्रमश 10.84 हैक्टर, 1.00 हैक्टर, 11.90 हैक्टर एवं 0.18 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 670, 671, 672 रकबा क्रमशः 19–7–10, 10–01–02, 16–19–00 सहित अन्य आराजियात जो अपीलार्थी व उसके पूर्वजों के नाम पूर्व राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदारी दर्ज थी लेकिन अविधिक रूप से वर्किंग जमाबंदी में सिवायचक घोषित कर दी गई। राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किये जाने व अपीलार्थी को खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष प्राप्त करने हेतु राजस्व वाद विचाराधीन है जिसमें सभी पक्षकारान के हक, अधिकार वाद विचारण व साक्ष्य के आधार पर निर्णित किये जायेंगे। जिला कलक्टर, अजमेर ने उपरोक्त आराजियात अविधिक रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये हस्तांतरित करने का आदेश पारित कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होने से अपीलार्थी की आराजियात की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजियात अपीलार्थी की पूर्व से खातेदारी में दर्ज है लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्धन के दौरान त्रुटि से सिवायचक दर्ज कर दी जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को पिछले इन्द्राज को पूर्वानुसार ही दर्ज किया जाना चाहिए था। जिला कलक्टर अजमरे द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर आदेश दिनांक 12–11–2012 से अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात को नियमित राजस्व वाद विचाराधीन रहने के बावजूद नगर पालिका पुष्कर को हस्तांतरित कर दी जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर अजमेर का आक्षेपित आदेश दिनांक 12–11–2012 अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बरों के वर्तमान खसरा नम्बर 2047, 2049, 2050, 2050/2617 जिसके पुराने खसरा नम्बर 670 रकबा 19–7–10, खसरा नम्बर 671 रकबा 10–1–02, खसरा नम्बर 672 रकबा 16–19–00 बीघा की हद तक निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में 2018 आर.बी.जे. पेज 372, 2016 आर.बी.जे. पेज 547 से 553, 2016 आर.बी.जे 547 से 449, 2018 आर.बी.जे. पेज 372 से 376, आर.आर.टी 2018 (1) पेज 601 से 605, आर.बी.जे. 2018 पेज 42 से 47, आर.बी.जे. 2014 पेज 472 [illegible], आर.बी.जे. (18) 2011 पेज 330 से 333, एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील डिक्री नम्बर 1210/2015/टीए/जयपुर गोपाल बनाम [illegible] भारतीय सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 में पारित निर्णय दिनांक 29–6–2016 आदि की नजीरे व उद्धरण प्रस्तुत कर इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:31 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने तर्क दिये कि तहसील पुष्कर में स्थित विवादित आराजियात खसरा नम्बर 2047, 2049, 2050 व 2050/2617 रकबा क्रमश 10.84 हैक्टर, 1.00 हैक्टर, 11.90 हैक्टर एवं 10.84 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 670, 671, 672 रकबा क्रमशः 19–7–10, 10–01–02, 16–19–00 बीघा भूमि के साथ अन्य भूमियां राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज होने से नगर पालिका पुष्कर को जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक 181 दिनांक 12–11–2012 से हस्तांतरित की गई है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसील पुष्कर स्थित विवादित आराजियात खसरा नम्बर 2047, 2049, 2050 व 2050/2617 रकबा क्रमश 10.84 हैक्टर, 1.00 हैक्टर, 11.90 हैक्टर एवं 0.18 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 670 रकबा 19–7–10, खसरा नम्बर 671 रकबा 10–1–02, खसरा नम्बर 672 रकबा 16–19–00 बीघा भूमि अपीलार्थी व उसके पूर्वजों के नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदारी दर्ज थी जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही उक्त आराजियात को सिवायचक दर्ज कर दी गई। उक्त आराजियात की इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही हेतु पक्षकारान के मध्य अन्य आराजियात सहित एक राजस्व वाद संख्या 95/1996 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड हेतु उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया था जो वर्तमान में सहायक जिला कलक्टर (मु0) अजमेर के यहां विचाराधीन होने के बावजूद जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात को प्रत्यर्थी संख्या 2 नगर पालिका पुष्कर के नाम हस्तांतरित कर दी गई जो विधि सम्मत नहीं है।

जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12–11–2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पुष्कर क्षैत्र की है जबकि विवादित आराजियात जो कि नगर पालिका पुष्कर को हस्तांतरित किये जाने के आदेश पारित किये गये है उसमें तहसीलदार, अजमेर के स्थान पर तहसीलदार, मसूदा को नगर पालिका पुष्कर को नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज एवं कब्जा संभलवाने के आदेश पारित किये गये है। पुष्कर क्षैत्र तहसीलदार, अजमेर के अधीन आता है न कि तहसील मसूदा के अधीन। अतः अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:31 IST
Reason: SelfAttested

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आराजियात नगर पालिका को हस्तांतरित करने के दौरान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय आदेश पारित किया है जबकि विवादित आराजियात अपीलार्थी व उसके पूर्वजों के नाम से पूर्व से राजस्व

रेकार्ड में खातेदारी दर्ज चली आ रही है। यह परिस्थिति भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बरान को सिवायचक दर्ज किये जाने के कारण उत्पन्न हुई है जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व के इन्द्राज को यथावत इन्द्राज किया जाना चाहिए था। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के विवादित आराजियात को सिवायचक दर्ज कर दी गई जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अजमेर का आदेश क्रमांक एफ. 12 (सी) ( ) /12/181 दिनांक 12–11–2012 जिसके द्वारा विवादित आराजियात नगर पालिका पुष्कर को हस्तांतरित की गई है, को तहसील पुष्कर में स्थित विवादित आराजियात खसरा नम्बर 2047, 2049, 2050 व 2050/2617 रकबा क्रमश 10.84 हैक्टर, 1.00 हैक्टर, 11.90 हैक्टर एवं 0.18 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 670 रकबा 19–7–10, खसरा नम्बर 671 रकबा 10–1–02, खसरा नम्बर 672 रकबा 16–19–00 बीघा भूमि जो कि अपीलार्थी की खातेदारी आराजियात है, को अपीलार्थी के इन खसरा नम्बरान की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीरे तथ्यपरक समानता होने से उक्त प्रकरण पर चस्पा होती हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ. 12(सी)( ) /12/181 दिनांक 12–11–2012 जिसके द्वारा तहसील पुष्कर स्थित सिवायचक भूमि नगर पालिका पुष्कर को हस्तांतरित की गई है, में से तहसील पुष्कर में स्थित विवादित आराजियात खसरा नम्बर 2047, 2049, 2050 व 2050/2617 रकबा क्रमश 10.84 हैक्टर, 1.00 हैक्टर, 11.90 हैक्टर एवं 0.18 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 670 रकबा 19–7–10, खसरा नम्बर 671 रकबा 10–1–02, खसरा नम्बर 672 रकबा 16–19–00 बीघा भूमि जो कि अपीलार्थी की खातेदारी आराजियात की है को उक्त खसरा नम्बरान की हद तक निरस्त किया जाता है और तहसीलदार, पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि वे सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के यहां विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 95/1996 उनवान भैरू सिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय अनुसार मूल राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही करे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:31 IST
Reason: SelfAttested